रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2015/ज्येष्ठ 18, 1937
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2015/JYAISTHA 18, 1937

IndiaCode

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(मसाला बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 5 जून 2015

फा.सं. 5/7/2014-ई पी (एग्री 5)/बागान घ.—मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 11 और 13 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986(1986 का 10) की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड की सलाहकार समिति(यों) का गठन करता है जिन्हें इस अधिसूचना के संलग्नक में यथा उल्लिखित देश के विभिन्न मसाला उत्पादक क्षेत्रों के लिए मसाला विकास अभिकरण(णों) के रूप में अभिहित किया जाएगा ।

1. मसाला विकास अभिकरण का गठन: - (1) प्रत्येक मसाला विकास अभिकरण में निम्न लिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार के मुख्य सचिव जहां अभिकरण अवस्थित है अध्यक्ष;

(ख) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य;

(ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य;

(घ) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य;

(ङ) संबंधित क्षेत्र से सदस्य, मसाला बोर्ड सदस्य;

(च) कृषि विभाग, राज्य सरकार के प्रतिनिधि सदस्य;

(छ) निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, सदस्य;

(ज) संबंधित राज्य या क्षेत्र में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सदस्य;

(झ) संबंधित राज्य या क्षेत्र में प्रमुख मसाला कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य सदस्य;

(ञ) संबंधित राज्य या क्षेत्र में मसालों के निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य सदस्य;

(ट) संबंधित राज्य या क्षेत्र में मसालों के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य सदस्य;

(ठ) कृषि उत्पाद विपणि समिति (एपीएमसी) के प्रतिनिधि सदस्य;

(ड) मसाला बोर्ड के प्रादेशिक अधिकारी संयोजक/सदस्य सचिव

मसाला विकास अभिकरण के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से लेकर तीन वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं होगा।

(2). मसाला विकास अभिकरण की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अगले वरिष्ठतम प्रतिनिधि, द्वारा की जाएगी।

(3). मसाला विकास अभिकरण, मसाला बोर्ड द्वारा दी गई साधारण अथवा विनिर्दिष्ट सलाह के अध्यधीन बैठकों के संचालन के लिए अपनी प्रक्रियाएँ बनाएगा।

(4). मसाला विकास अभिकरण की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक और एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

2. सचिवालय : (1) मसाला विकास अभिकरण का मुख्यालय मसाला बोर्ड द्वारा अभिहित स्थान पर होगा और यह उसका प्रादेशिक कार्यालय कहलाएगा ।

(2) मसाला बोर्ड के प्रादेशिक अधिकारी अभिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे और इसके निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे।

3. कार्य:- (1) मसाला विकास अभिकरण मसाला बोर्ड अधिनियम के अध्याय II धारा 7 यथा निर्धारित मसाला बोर्ड के कार्यकलापों को निष्पादित करेगा और यह सरकार के विनिर्दिष्ट आदेशों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगा ।

(2) विशिष्टतया मसाला विकास अभिकरण निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा:

(क) मसालों के उत्पादन, विकास, संवर्धन, विपणन और निर्यात के संबंध में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों के कार्यक्रमों, कार्यकलापों और परियोजनाओं में समन्वय;

(ख) विशिष्टतया, मसालों के निर्यात को संवर्धित करने हेतु कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाना

IndiaCode

(ग) मसालों के अधीन खेती ,पुनर्रोपण के उन्नत तरीकों तथा मसालों के उपज क्षेत्र का विस्तार करना, उनके प्रसंस्करण, पैकेजिंग हेतु सहायता की व्यवस्था करना और सहायता प्रदान करना

(घ) मसालों के उपभोग को बढ़ाने हेतु संवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाना

(ङ) प्रसंस्करण,पैकेजिंग और भंडारण हेतु समुचित अवसंरचना के सृजन केलिए सहायता देना तथा उसे प्रोत्साहित करना

(च) मसालों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, श्रेणीकरण तकनीक तथा पैकेजिंग में सुधार लाने हेतु अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहायता और प्रोत्साहन देना;

(छ) मसालों के निर्यात केलिए उपयुक्त गुणवत्ता मानक बनाना और गुणवत्ता प्रमाणन का आरंभ करना;

(ज) मसालों केलिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ स्थापित करना और निर्यात केलिए मसालों के मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबद्ध कार्यकलाप चलाना।

(झ) मसाला उद्योग के सभी पणधारियों में मसालों की विपणि और मूल्य से संबन्धित सूचना का प्रसार करना;

(ञ) मसालों के उत्पादकों में सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना;

(ट) मसालों की वैज्ञानिक खेती, गुणवत्ता परीक्षण तथा मसालों के श्रेणी नियतन से संबन्धित प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ठ) मसाला उद्योग से संबन्धित विहित किसी भी मामले में कृषकों, व्यौहारियों और ऐसे अन्य अभिकरणों से आंकड़े एकत्र करना; और

(ड) मसालों के उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता और निर्यात से संबन्धित मामलों पर क्षेत्र की राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और मसाला बोर्ड को सलाह देना।

4. शक्तियाँ :(1) अपने कार्यों के निर्वहन में, मसाला विकास अभिकरण को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी:-

(क) मसाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के अनुसार कार्यक्रमों, कार्यकलापों और सेवाओं के आयोजन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए व्यय की संस्वीकृति देना; और

(ख) अपने पदाधिकारियों के कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करना और उन पर पर्यवेक्षण एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना, जैसा आवश्यक हो।

(2) जिन मामलों में मसाला विकास अभिकरण का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उनमें सदस्य सचिव मसाला बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करके अभिकरण के किसी कार्य के प्रभावी निष्पादन हेतु निर्णय ले सकते हैं। ऐसे मामलों में उनके द्वारा की गई कार्रवाई केलिए अगले अधिवेशन में कार्योत्तर मंजूरी ली जाएगी ।

5. वित्त:(1) मसाला विकास अभिकरण अपने कार्यकलापों केलिए एक वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करेगा तथा विभिन्न पणधारकों और अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के लिए इसे बोर्ड से अनुमोदित कराएगा।

(2) केंद्रीय सरकार उक्त अभिकरण द्वारा उसके कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु मसाला बोर्ड अथवा अन्यथा के माध्यम से यथावश्यक राशि प्रदान करेगी।

6. नियंत्रण: मसाला विकास अभिकरण मसाला बोर्ड के प्राधिकार, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन समस्त कार्य करेगा।

IndiaCode

7. प्रत्येक मसाला विकास अभिकरण मसाला बोर्ड द्वारा अधिसूचित तारीख से अपना प्रचालन प्रारम्भ करेगा।

8. मसाला बोर्ड, अन्य क्षेत्रों केलिए अतिरिक्त मसाला विकास अभिकरण को स्थापित और अधिसूचित करेगा, जैसा आवश्यक हो। तारीख 05 जून 2015 की संख्या 5/7/2014-(ईपी एग्री-V) बागान घ के अंतर्गत जारी मसाला बोर्ड की अधिसूचना का संलग्नक

मसाला विकास अभिकरण

क्रम सं.	मुख्यालय	मसाला विकास अभिकरण का नाम	अधीन आनेवाले मसाले*	अधीन आनेवाले क्षेत्र/राज्य
1	गुंटूर	गुंटूर मसाला विकास अभिकरण	मिर्च, हल्दी, इमली, कालीमिर्च, करी पत्ता,	आंध्र प्रदेश और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
2	गान्तोक	गान्तोक मसाला विकास अभिकरण	बड़ी इलायची, अदरक, मिर्च, हल्दी	सिक्किम और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
3	हावेरी	हावेरी मसाला विकास अभिकरण	कालीमिर्च, मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, कोकम,धनिया	कर्नाटक और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
4	ऊंझा	ऊंझा मसाला विकास अभिकरण	जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी, मिर्च, लहसुन, अजवायन, सोआ बीज	गुजरात और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
5	जोधपुर	जोधपुर मसाला विकास अभिकरण	धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा	राजस्थान और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
6	गुवाहटी	गुवाहटी मसाला विकास अभिकरण	अदरक, कालीमिर्च, हल्दी, मिर्च, बड़ी इलायची, तेजपत्ता	असम और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
7	गुना	गुना मसाला विकास अभिकरण	लहसुन, धनिया	मध्य प्रदेश और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
8	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश मसाला विकास अभिकरण	पुदीना	उत्तर प्रदेश और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
9	ईरोड	ईरोड मसाला विकास अभिकरण	हल्दी, मिर्च, कालीमिर्च, छोटी इलायची, करी पत्ता, इमली, शाकीय मसाले, लौंग, जायफल, धनिया	तमिलनाडु और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले
10	मुंबई	मुंबई मसाला विकास अभिकरण	हल्दी, मिर्च, कोकम	महाराष्ट्र और मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिवेशी क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले

*उल्लिखित मसाले संकेतात्मक हैं।

डॉ. ए. जयतिलक, अध्यक्ष, मसाला बोर्ड

[विज्ञापन–III/4/असा./92–I/15(110)]

Ministry of Commerce and Industry

(Spices Board)

ORDER

New Delhi, the 5th June 2015

F.No. 5/7/2014-EP(Agri. V)/Plant D. - In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), read with rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby constitutes advisory committees (s) of the Spices Board, to be designated as Spice Development Agency(s) for various spice growing regions of the country as mentioned in annexure to this notification.

1. **Constitution of Spice Development Agency. -** (1) Each Spice Development Agency shall consist of the following members, namely:-

(a)	Chief Secretary to the State Government where the Agency is located	Chairperson
(b)	Representative of the Government of India with Ministry of Agriculture	Member
(c)	Representative of the Government of India with Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce	Member
(d)	Joint Director General of Foreign Trade, representing Government of India Department of Commerce	Member
(e)	Member, Spices Board from the concerned region	Member
(f)	Representative of the Department of Agriculture of the State Government	Member
(g)	Director, State Horticulture Mission	Member
(h)	Representative of University of Agriculture located in the concerned State or region	Member
(i)	Three persons to represent the growers of major spices in the concerned State or region	Member
(j)	Two persons to represent the exporters of spices in the concerned State or region	Member
(k)	Two persons to represent the traders of spices in the concerned State or region	Member
(l)	Representative of Agricultural Produce Market Committee	Member
(m)	Regional Officer of the Spices Board	Convener/ Member Secretary

IndiaCode

(2) The members of the Spice Development Agency shall hold office for such period not exceeding three years from the date of appointment.

(3) All meetings of the Spice Development Agency shall be chaired by the Chairperson and in his absence, the meetings shall be chaired by the next senior most representative of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(4) The Spice Development Agency may devise, subject to any general or specific advice given by the Spices Board, its own procedures for conduct of its meetings.

(5) The Spice Development Agency shall have one meeting in each quarter and not less than two meetings in a financial year.

2. **Secretariat.-** (1) The Headquarters of the Spice Development Agency shall be in a place designated by the Spices Board as its Regional Office.

(2) The Regional Officer of the Spices Board shall act as the Member Secretary of the Agency and implement its decisions.

3. **Functions**.- (1) The Spice Development Agency shall perform the functions of the Spices Board as laid down in Chapter II, section 7 of the said Act and exercise and perform such other powers and functions as may be entrusted to it by specific order of the Government.

(2) In particular, the Spice Development Agency may,-

(a) coordinate programmes, activities and projects of the concerned agencies of the Central and State Government relating to production, development, promotion, marketing and export of spices;

((b) undertake programmes and projects, in particular, for promotion of export of spices;

(c) arrange and provide assistance for improved method of cultivation, replanting and expansion of growing area under spices and its processing and packaging;

(d) carry out promotional programmes to increase consumption of spices;

(e) assist and encourage creation of appropriate infrastructure for processing, packaging and warehousing;

(f) assist and encourage studies and research for improvement of processing, quality, techniques of grading and packaging of spices;

(g) evolve suitable quality standards and introduce certification of quality for spices export;

(h) establish quality evaluation laboratory for spices, and undertake activities connected with evaluation and control of quality of spices for export;

(i) disseminate information on market and price of spices among all the stakeholders of spices industry;

(j) promote co-operative efforts among growers of spices;

(k) provide training on scientific cultivation of spices, testing of quality, fixing grades for spices;

(l) collect statistics from growers, dealers and such other agencies as may be prescribed on any matters related to the spices industry; and

(m) advise the Central Government, State Governments of the region and Spices Board on matters related to production, marketing, quality and export of spices.

4. **Powers.-** (1) In discharging its functions, the Spice Development Agency, shall have the powers to-

(a) sanction the expenditure for undertaking programmes, activities and services and other administrative expenses as per the financial and administrative powers delegated by the Spices Board; and

(b) specify the duties for its officials and exercise supervision and disciplinary control over them, as may be necessary.

(2) In case, a specific approval of the Spice Development Agency cannot be obtained, the Member Secretary may perform any of the function assigned to the Spice Development Agency, in consultation with Chairperson subject to the expost facto approval in the next meeting, of the functions performed by him.

5. **Finance.-** (1) The Spice Development Agency shall prepare an annual plan and budget of its activities which shall be approved by the Board for implementation by the concerned stakeholders and agencies.

(2) The Central Government may provide, through the Spices Board or otherwise, grant of such sums of amount as may be necessary for the said Agency to carry out its functions effectively.

6. **Control.-** The Spice Development Agency shall function under the overall authority, supervision and control of the Spices Board.

7. Each Spice Development Agency shall commence its operations from a date as may be notified by the Spices Board.

8. The Spices Board may set up and notify additional Spice Development Agency for other regions as may be necessary.

Annexure to notification of Spices Board issued under No. 5/7/2014-EP(Agri. V)/Plant D. – dated 5th June, 2015

Spice Development Agencies

S.No.	Headquarter	Name of Spice Development Agency	Spices* Covered	Region/states covered
1.	Guntur	Guntur Spice Development Agency	Chilli, Turmeric, Tamarind, Pepper, Curry Leaf	Andhra Pradesh and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
2.	Gangtok	Gangtok Spice Development Agency	Large Cardamom, Ginger, Chillies, Turmeric	Sikkim and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
3.	Haveri	Haveri Spice Development Agency	Pepper, Chilli, Cardamom, Ginger, Turmeric, Kokam, Coriander	Karnataka and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
4.	Unjha	Unjha Spice Development Agency	Cumin, Fennel, Coriander, Fenugreek, Chilli, Garlic, Ajowan, Dillseed	Gujarat and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
5.	Jodhpur	Jodhpur Spice Development Agency	Coriander, Fenugreek, Fennel, Cumin	Rajasthan and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
6.	Guwahati	Guwahati Spice Development Agency	Ginger, Pepper, Turmeric, Chillies, Large Cardamom, Tejpat	Assam and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
7.	Guna	Guna Spice Development Agency	Garlic, Coriander	Madhya Pradesh and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
8.	Barabanki	Uttar Pradesh Spice Development Agency	Mint	Uttar Pradesh and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board

IndiaCode

9.	Erode	Erode Spice Development Agency	Turmeric, Chilli, Pepper, small cardamom, Curry Leaf, Tamarind, Herbal Spices, Clove, Nutmeg, Coriander	Tamilnadu and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board
10.	Mumbai	Mumbai Spice Development Agency	Turmeric, Chilli, Kokam	Maharashtra and other spice growing districts in surrounding region as notified by the Spices Board

*The spices mentioned are indicative.

Dr. A. JAYATHILAK, Chairman, Spices Board

[ADVT.-III/4/Exty./92-I/15(110)]

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.